"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 328] रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 अप्रैल 2022 — वैशाख 7, शक 1944

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 12 अप्रैल 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–13/2012/29–2.— उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35) की धारा 102 सहपठित धारा 70 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात्:–

विनियम

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**– (1) ये विनियम छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण) विनियम, 2022 कहलायेंगे।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** – (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का सं. 35);

(2) शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जैसा कि अधिनियम तथा इसके अधीन निर्मित नियमों में उनके लिए समनुदेशित हैं।

3. **कार्य का अनुपालन**– राज्य आयोग और जिला आयोग, प्रत्येक कार्य दिवस पर पर्याप्त मामलों को सूचीबद्ध करेंगे, जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि उपभोक्ता संरक्षण विनियम, 2020 के विनियम 5 में यथा विहित सुनवाई के घंटों से पूर्व कार्य समाप्त न हो।

4. **जिला आयोग का निरीक्षण.**– (1) राज्य आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई सदस्य, अपने प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आने वाले प्रत्येक जिला आयोग का निरीक्षण, कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार करेंगे और ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट तैयार करेंगे तथा ऐसे निरीक्षण के पंद्रह दिनों के भीतर उसे राज्य आयोग को प्रस्तुत करेंगे।

(2) निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने पर, राज्य आयोग के अध्यक्ष, जिला आयोग को ऐसे प्रशासनिक निर्देश जारी कर सकेंगे, जो कि जिला आयोग की कार्य पद्धति में सुधार करने और इसकी अर्द्ध–न्यायिक स्वतंत्रता

पर किसी प्रकार के हस्तक्षेप के बिना, इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों को प्राप्त करने लिए उसके द्वारा समुचित समझा जाये।

(3) जिला आयोग, उप–विनियम (2) के अधीन जारी निर्देशों का शीघ्रता से पालन करेगा।

(4) उप–विनियम (2) के अधीन राज्य आयोग के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए निर्देशों की एक प्रति, राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष को भी प्रेषित की जायेगी।

5. **प्रशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा.**– राज्य आयोग के अध्यक्ष, जिला आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरूद्ध शपथ पत्र सहित कोई शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी ऐसी जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जैसा कि वह समुचित समझे, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य के विरूद्ध उचित प्रशासकीय कार्रवाई करने के लिए राज्य शासन को अनुशंसा कर सकेंगे तथा ऐसी अनुशंसाओं की एक प्रति, राष्ट्रीय आयोग को भी अग्रेषित करेंगे।

6. **शिकायत की स्वीकृति.**– राज्य आयोग में, विनियम 5 के अनुसार दर्ज शिकायत के पंजीयन के चौदह दिनों के भीतर, इसकी सुनवाई, राज्य आयोग द्वारा की जाएगी, और ऐसे पंजीयन के इक्कीस दिनों के भीतर, या तो इसे स्वीकार किया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा और यदि शिकायत, इसके पंजीयन के इक्कीस दिनों के भीतर स्वीकार अथवा खारिज नहीं किया जा सका हो, तो राज्य आयोग, ऐसे विलंब के लिए कारणों को अभिलिखित करेगा।

7. **आदेश अपलोड करना.**– राज्य आयोग और जिला आयोग, उनके द्वारा सुनाये गये अंतिम आदेशों को अभिहित वेबसाईट पर, ऐसे आदेश के जारी होने के सात दिन के भीतर, अपलोड करेंगे।

8. **लंबित मामले अपलोड करना.**– राज्य आयोग और जिला आयोग, प्रत्येक मास के सातवें दिन तक अपनी–अपनी वेबसाईट पर उन लंबित मामलों, जिनमें बहस सुनी जा चुकी है, परंतु आदेश, पैंतालिस दिनों से अधिक हो जाने पर नहीं सुनाया गया हो, के विवरण अपलोड करेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

अटल नगर, दिनांक 12 अप्रैल 2022

क्रमांक एफ 7–13/2012/29–2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 12–04–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 12th April 2022

NOTIFICATION

No. F 7-13/2012/29-2.— In exercise of the powers conferred by Section 102 read with Section 70 of the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019), the State Government, hereby, makes the following regulations, namely:-

REGULATION

1. **Short title and commencement.-** (1) These regulations may be called the Chhattisgarh State Consumer Protection (Administrative Control over the State Commission and the District Commission) Regulations, 2022.

(2) They shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-

(a) "**Act**" means the Consumer Protection Act, 2019 (No. 35 of 2019).

(2) Words and expressions used but not defined in these regulations shall have the same meaning respectively assigned to them in the Act and Rules made thereunder.

3. **Observance of work.-** The State Commission and the District Commission shall be listed sufficient matters on each working day, to ensure that the work does not finish

before the hearing hours as prescribed in regulation 5 of the Consumer Protection Regulations, 2020.

4. **Inspection of the District Commission.-** (1) The president of the State Commission or Member duly authorized by him shall inspect each District Commission under its administrative control, at least once in a calendar year and prepare a report of such an inspection and submit the same to the State Commission within fifteen days of such inspection.

(2) On receipt of the inspection report, the President of the State Commission may issue such administrative direction to the District Commission, as may be deemed appropriate by him to improve the functioning of the District Commission and to achieve the objects and purposes of the Act without any kind interfering with its quasi-judicial freedom.

(3) The District Commission shall expeditiously comply with the direction issued under sub-regulation (2).

(4) A copy of the direction issued by the President of the State Commission under sub-regulation (2) shall also be forwarded to the President of the National Commission.

5. **Recommendation to State Government for Administrative Action.-** The President of the State Commission, may, on receipt of a complaint with affidavit against the President or a Member of the District Commission, after making such inquiry, if any, as he may deem appropriate, recommend to the State Government for taking suitable administrative action against such President or member, as the case may be, and a copy of such recommendation shall also be forwarded to the National Commission.

6. **Admission of a Complaint.-** Within fourteen days of the registration of a complaint filed as per Regulation 5, in State Commission, it shall be heard by the State Commission and

within twenty–one days of such registration, shall either be admitted or rejected and if the complaint can not be admitted or rejected within twenty-one days of its registration, the State Commission shall record reasons for such delay.

7. **Uploading of Order.-** The State Commission and the District Commission shall upload final orders pronounced by them, on designated websites, within seven days of the pronouncement of such order.

8. **Uploading the Pending Matters.-** The State Commission and the District Commission shall upload, on their respective websites by the 7th days of each month, the particulars of the pending matters, in which argument have been heard, but the order has not been pronounced for more than forty-five days.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.